ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

(2020-2021)

19

सत्रहवीं लोक सभा

पंचायती राज मंत्रालय

[पंचायती राजमंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई]

उन्नीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

उन्नीसवां प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति
(2020-2021)

(सत्रहवीं लोक सभा)

पंचायती राज मंत्रालय

[पंचायती राजमंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर कीगईकार्रवाई]

05.08.2021 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया
05.08.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
अगस्त, 2021/श्रावण, 1943 (शक)

सीआरडी सं. 173

मूल्यःरुपये.....

© 2021 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथाकार्य-संचालन नियम (संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ---------- ---------- द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

पृष्ठ सं.

समिति (2020-21) की संरचना		(ii)
प्राक्कथन		(iii)
अध्यायएक	प्रतिवेदन	**1**
अध्यायदो	सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	**7**
अध्यायतीन	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	**35**
अध्यायचार	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं	**36**
अध्यायपांच	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	**39**

अनुबंध

एक.	समिति की 03.08.2021 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश का उद्धरण	40
दो.	ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण	42

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति)2020-21) की संरचना

श्री प्रतापराव जाधव -- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री शिशिर कुमार अधिकारी
3. श्री सीअन्नादुरई . .एन
4. श्री एचिनराज .पी.के.
5. श्री राजवीर दिलेर
6. श्री विजय कुमार दुबे
7. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
8. डॉ मोहम्मद जावेद
9. प्रोरीता बहुगुणा जोशी .
10. श्री नलीन कुमार कटील
11. श्री नरेन्द्र कुमार
12. श्री जनार्दन मिश्र
13. श्री बीराघवेन्द्र .वाई.
14. श्री तालारी रंगैय्या
15. श्रीमती गीताबेन वीराठवा .
16. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
17. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
18. श्री बृजभूषण शरण सिंह
19. श्री केसुधाकरन .
20. डॉ आलोक कुमार सुमन
21. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

22. रिक्त
23. श्री शमशेर सिंह ढुलो
24. श्री इरण्ण कडाडि
25. डा. वानविरॉय खारलूखी
26. श्री सुजीत कुमार
27. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
28. रिक्त
29. श्री नारणभाई जे. राठवा
30. श्री राम शकल
31. श्री अजय प्रताप सिंह

सचिवालय

1. श्रीडी.आर.शेखर - संयुक्त सचिव
2. श्रीए.के. शाह - निदेशक
3. श्रीमती एम्मा सी .बरवा - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2020-2021) का सभापति समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) से संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

2. 15वां प्रतिवेदन 09**.03.**2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर **भी** रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों पर सरकार के उत्तर 15.06.2021 को प्राप्त हुए थे।

3. समिति ने 03.08.2021 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. समिति के 15वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण **परिशिष्ट-दो** में दिया गया है ।

नई दिल्ली;
03 अगस्त, 2021
12 **श्रावण, 1943(शक)**

प्रतापराव जाधव
सभापति,
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

अध्याय-एक
प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति(2020-21) का यह प्रतिवेदन पंचायती राज मंत्रालय की वर्ष 2021-2022की अनुदानों की मांगों संबंधी उसके पंद्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है।

2.पंद्रहवां प्रतिवेदन लोकसभा में दिनांक 09.03.2021 को प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में 16 टिप्पणियां/ सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं।

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्टसभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण सरकार से प्राप्त हो गए हैं। इनकी जांच कर ली गई है और इन्हें निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:-

(एक) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :
क्रम सं.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15

कुल:14

अध्याय-दो

(दो) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिन पर सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:क्रम सं. शून्य

कुल:शून्य

अध्याय-तीन

(तीन) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है
क्रम सं.6, 16

कुल:02

अध्याय-चार

(चार) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार से अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं:
क्रम सं. शून्य

कुल:0

अध्याय-पांच

4. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अंतिम की-गई-कार्रवाई टिप्पण समिति के समक्ष इस प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किए जाएं।

5. अब समिति अपनी कतिपय उन टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर चर्चा करेगी जिन्हें दोहराए जाने अथवा जिन पर गुणावगुण के आधार पर टिप्पणियाँ किए जाने की आवश्यकता है ।

<u>ग्राम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण</u>

सिफारिश (क्र.सं. 6)

6. ग्राम पंचायतों के कंप्यूटरीकरण के संबंध में समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:-

"समिति कंप्यूटर वाले राज्यवार ग्राम पंचयातों के बारे में पंचायती राज मंत्रालय के आंकड़ों को देखते हुए यह नोट करके प्रसन्न है कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में कंप्यूटर वाली ग्राम पंचायतें हैं जबकि आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, तेलंगाना और उत्तराखण्ड राज्यों में कम संख्या में कंप्यूटर वाली ग्राम पंचायतें हैं। समिति यह भी नोट करती है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा रखी गई 894.03 करोड़ रु. की बजटीय मांग की तुलना में केवल 593 करोड़ रु. ही वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के समक्ष अनुपूरक अनुदान के रूप में रखा जाएगा। ग्राम पंचायतों की बहुत बड़ी संख्याजिनमें कंप्यूटर नहीं है, जैसाकि उपरोक्त में दिया गया है, के आलोक में समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के शीघ्र कंप्यूटरीकरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय को पर्याप्त वित्त प्रदान करने सहित प्रभावी प्रयास किए जाएं।"

7. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण, जो कि भारत के संविधान की राज्य सूची की 7वीं अनुसूची का भाग है, राज्य का विषय है और इसके लिए राज्य ही उत्तरदायी है। तथापि, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) अपने स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से कंप्यूटरों के प्रावधानों सहित राज्य के प्रयासों को पूरा करता है। वर्ष 2018-19 से कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आरजीएसए) के पुनर्गठित स्कीम के तहत यह मंत्रालय इस संबंध में सीमित पैमाने पर ग्राम पंचायतों के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कंप्यूटर और सहायक उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करता रहा है। योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राम पंचायतोंको कंप्यूटरअनुमोदित किए गए हैं। साथ ही, चालू वर्ष के दौरान अब तक 13 राज्यों में 7696 ग्राम पंचायतों के लिए कंप्यूटर अनुमोदित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित स्थानीय ग्रामीण निकायों में कंप्यूटर के लिए ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा 15वेंवित्त आयोग के तहत बिना शर्त / मूल अनुदानों का उपयोग किया जा सकता है। यदि आवश्यकता हुई तो अनुपूरक अनुदान के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त निधि की मांग करने के लिए भी वित्त मंत्रालय से इस मामले को उठाया जाएगा।"

<u>समिति की टिप्पणियां</u>

8. यह तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2021-22 के लिए पंचायतों के कंप्यूटरीकरण हेतु निधि की पर्याप्त रूप से अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, तेलंगाना और उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों (जीपी) काकम कम्प्यूटरीकरण हुआ है, समिति को बताया गया था कि इस संबंध में प्रभावी परिणामके लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त

करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय से निधियों की कमी का मुद्दा उठाया जाएगा।

9. की-गई-कार्रवाई उत्तर से समिति पाती है कि एमओपीआर ने इस मुद्दे को अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से वित्त मंत्रालय के साथ उठाने के अपने रुख को दोहराया है । समिति को इस उद्देश्य के लिए संबंधित राज्यों द्वारा 15वें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदानों के तहत बिना शर्त (अनटाइड)/मूल अनुदान निधियों के उपयोग के बारे में भी बताया गया है। समिति महसूस करती है कि संबंधित राज्यों द्वारा इन निधियों का उपयोग ना कर पाना ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण की धीमी प्रगति का कारण हो सकती है। इस संबंध में समिति पाती है कि जुलाई, 2021 को सभा के समक्ष रखे गए 1.87 लाख करोड़ रुपये के अनुपूरक अनुदानों (2021-22) के पहले बैच में वित्त मंत्रालय द्वारा एमओपीआर के लिए कोई भी मांग नहीं उठाई गई है। तथापि, समिति, वित्त मंत्रालय से पुरजोर तरीके से सिफारिश करती है कि वह बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों को कंप्यूटरीकरण के तहत कवर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इससे संबंधित उक्त धीमी प्रगति वाले राज्यों के समुचित उपयोग हेतु और अधिक धनराशि उपलब्ध कराए। अत: समिति अपनी इस सिफारिश को पुन: दोहराती है कि जब भी अनुपूरक अनुदानों (2021-22) का दूसरा बैच संसद के समक्ष आए तो पंचायती राज मंत्रालय अपने लिए अपेक्षित निधियों की मांग हेतु वित्त मंत्रालय से संपर्क करे।

<u>ग्रामीण मकान मालिक को संपत्ति कार्ड देने के लिए स्वामित्व योजना का कार्यान्वयन</u>

सिफारिश (क्र.सं. 16)

9.ग्रामीण मकान मालिक को संपत्ति कार्ड देने के लिए स्वामित्व योजना के कार्यान्वयनके संबंध में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

"समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान गांवों के सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व) के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है जिसका उद्देश्य गाँव के परिवारों को 'अधिकार अभिलेख'(रिकार्ड ऑफ राइट्स) प्रदान करना और मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना है जिससे ग्रामीण आवासीय परिसंपत्तियों के क्रेडिट संबंधी मौद्रिकरण और अन्य वित्तीय सेवाओं में सुविधा होगी। समिति योजना के पहले चरण के निष्पादन को नोट करती है, जहां 763 गांवों में 1 लाख संपत्ति मालिकों को हक विलेख/संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ को स्थापित बैंकों से ऋण प्राप्त हुआ है। अब तक लगभग 24000 गांवों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है और 567 कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम (सीओआरएस) नेटवर्क स्थापित किया गया है ताकि संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क प्रदान किया जा सके जो लंबी दूरी तक पहुँच प्रदान करे और भूमि के सीमांकन में सबसे सटीक जानकारी दे । समिति आगे यह भी नोट करती है कि देश में लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने एक राज्य से दूसरे राज्य के लक्ष्य में बदलाव के लचीलेपन के साथ वर्ष 2021-22 के दौरान 2,02,964 गांवों ; वर्ष 2022-23 में 2,72,930 गाँवों और वर्ष 2023-24 में 64,813 गाँवों को कवर करने की एक अस्थायी योजना तैयार की है जो कि ड्रोन सर्वेक्षण कार्यों द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त करने पर निर्भर है । उपरोक्त टिप्पणियों का विश्लेषण करने पर समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय राज्यों , भारतीय सर्वेक्षण विभाग, नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशक के बीच उचित समन्वय की आवश्यकता पर अधिक जोर दे और 2021-22 से 2023-24 तक अनंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुचारू कार्यान्वयन और बेहतर निष्पादन के लिए योजना के कार्यान्वयन के पहले चरण के दौरान प्राप्त अनुभवों को शामिल करे।"

10. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"मंत्रालय ने सिफारिश को नोट कर लिया है और वह वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक अनंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुचारू कार्यान्वयन और बेहतर निष्पादन सुनिश्चित करेगा क्योंकि योजना को 2024-25 तक कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है।"

समिति की टिप्पणियां

11.समिति ने ग्रामीण मकान मालिक को संपत्ति कार्ड देने से संबंधित स्वामित्व योजना के कार्यान्वयनके बारे में नोट करते हुए यह सिफारिश की थी कि योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए राज्य एवं अन्य एजेंसियों के बीच समुचित समन्वय स्थापित किया जाए।इस संबंध में, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया है कि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक अनंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुचारू कार्यान्वयन और बेहतर निष्पादन सुनिश्चित करेगा क्योंकि योजना को 2024-25 तक कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है।तथापि, समिति यह नोट कर निराश है कि मंत्रालयइस योजना के सुचारू और समयबद्ध कार्यान्वयन को कैसे सुनिश्चित करेगा, इस बारे में कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया है।अत:, समिति अपनीइस सिफारिश को पुरजोर तरीके से दोहराती है कि मंत्रालय ग्रामीण मकान मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने से संबंधित स्वामित्वयोजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर और बहुत समन्वित तरीके से लागू करने के लिए प्रभावी प्रयास करे ताकि परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

अध्याय दो

सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश(क्रम सं. 1)

<u>पंचायती राज मंत्रालय की निधि को अत्यधिक कम करना और आवंटन का उपयोग</u>

पिछले तीन वर्षों के दौरान पंचायती राज मंत्रालय के समग्र परिव्यय और व्यय पर नज़र डालते हुए, समिति इस बात से निराश है कि बजट अनुमानों को किसी न किसी कारण से साल दर साल उत्तरोत्तर अत्यधिक कमी के साथ बेहद निम्न स्तर तक घटा दिया गया है। उदाहरण के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान 825.17 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को घटाकर 716.26 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसी तरह वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के दौरान 871.52 करोड़ रुपये और 900.94 करोड़ रूपये के बजट अनुमान को घटाकर संशोधित अनुमान स्तर को घटाकर क्रमशः 500.00 करोड़ रुपये और 690.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

समिति आगे यह नोटकर चिंतित हैं कि आरजीएसए 2018-19 के लिए नई योजना होने के प्रक्रियात्मक मुद्दे के कारण अगस्त, 2018 तक निधि की उपलब्धता में विलंब हुआ है जिससे निधि जारी करने संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) देर से जमा हो रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास अव्ययित शेष भी 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के इन सभी वर्षों के दौरान कम व्यय का सामान्य कारण रहा है, जिसके कारण नई राशियों को जारी करने संबंधी उपयोगिता प्रमाणपत्रों को देर से प्रस्तुत किया गया है। समिति यह भी पाती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड -19 महामारी के कारण और अव्ययित धन के संचय से बचने के लिए वित्त मंत्रालय ने नवंबर, 2020 तक खर्च पर 5% प्रति माह की सीमा लगायीहै।

समिति यह नोटकर भी चिंतित है कि दिनांक 05.01.2021 की स्थितिनुसार138.69 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि पंचायती राज मंत्रालय के साथ प्रत्येक योजना के तहत संचयी रूप से आरजीएसए के साथ 66.79 करोड़ रुपये की अधिकतम राशि के साथ जुड़ रही है।

अत: , समिति यह पाती है कि पंचायती राज मंत्रालय की निधियों के लाभार्थी राज्य और पंचायती राज मंत्रालय भी संशोधित अनुमान स्तर पर निधियों को घटाने के लिए स्वयं जिम्मेदार है और यह समग्र रिलीज़ और उनके उपयोग के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए, समिति पंचायती राज मंत्रालय से आग्रह करती हैकि वहराज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से आरजीएसए योजना के लंबित पुनर्गठन तक समय पर प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और केंद्रीय स्तर पर उनकी मंजूरी लेने हेतु जोर देताकि संशोधित अनुमान स्तर पर बिना किसी कटौती के 2021-22 के लिए बजट की गई राशि का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

सरकार का उत्तर

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) मंत्रालय की एक प्रमुख व्यापक योजना(अंबरेला स्कीम) है और आरजीएसए के तहत आवंटन, उपयोग और कटौती में बदलाव का मंत्रालय के समग्र बजटीय आवंटन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तदनुसार, मंत्रालय ने आरजीएसए योजना के लिए आवंटित बजट का इष्टतम उपयोग करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। समिति की 2021-22 के दौरान निधियों के इष्टतम उपयोग से संबंधित टिप्पणी के संबंध में, योजना के तहत आवंटित निधियों के उचित उपयोग के लिए रोडमैप निम्नलिखित है:

- वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) का समय पर अनुमोदन - वर्ष 2021-22 के लिए, राज्यों को जनवरी, 2021 के अंत तक वार्षिक कार्य योजनाओं को जमा करने के लिए कहा गया था ताकि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वार्षिक कार्य योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन किया जा सके। 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं को 20 अप्रैल, 2021 तक अनुमोदित किया गया है और उम्मीद है कि मई, 2021 तक शेष राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजनाओं को मंजूरी दे दी जाएगी। इससे राज्यों को अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पूरा वर्ष मिलेगा ।

- वार्षिक कार्य योजनाओं के सूत्रीकरण की चेकलिस्ट को साझा करना और राज्यों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना।

- राज्यों पर अव्ययित शेष राशि को समाप्त करने के लिए जोर दिया गया है और साथ ही, निधियों को जारी करने में प्राथमिकता उन राज्यों को दी जाएगी जिनके पास 01.04.2021 तक कम अव्ययित शेष राशि है।
- राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को यह दोहराया गया है कि उन्हें वर्ष के दौरान ही अनुमोदित गतिविधियों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।

- राज्यों के साथ अपने समान हिस्से की रिलीज़, अव्ययित शेष को समाप्त करने और आवश्यक दस्तावेज जैसे अधिकतम सीमा तक धनराशि जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र आदि जमा करने के लिए प्रभावी ढंग से विचार करना।
- प्रगति की निगरानी और अनुमोदित गतिविधियों में तेजी लाने के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग और दूरभाष के माध्यम से राज्यों के साथ नियमित बातचीत। अब और जहां भी जरूरत हो आवश्यक सलाह/स्पष्टीकरण जारी किया जाना ।
- क्षेत्र/राज्य-विशिष्ट वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग को भी प्रयोग में लाया जाना।
- एमआईएस को रोल-आउट करना और अनुमोदित गतिविधियों की प्रगति की निरंतर निगरानी करना।
- कार्यकारी एजेंसी के अंतिम स्तर तक पीएफएमएस के माध्यम से अनिवार्यरूप से निधियों को जारी करना। पीएफएमएस के साथ आरजीएसए, एमआईएस का एकीकरण।

- योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण के लिए नए समावेशन। जहाँ तक संभव हो दूरस्थ शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बदले हुए परिदृश्य में रणनीति को साकार करना।

यह भी उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने एक नई पहल के रूप में और स्कीमों के तहत समय पर धनराशि जारी करनेके लिए24 अप्रैल, 2021 कोवर्चुअली आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (एनपीआरडी) 2021 के अवसर पर पुरस्कार राशि को पुरस्कार विजेता पंचायतों को प्रदानकी।

(का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-योजना समन्वय, दिनांक: 15 जून, 2021**)**

सिफारिश(क्र सं. 2)

<u>वर्ष 2018-19 से संशोधित अनुमान स्तर पर आरजीएसए के तहत बजट अनुमान को कम करना</u>

समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए),एक व्यापक योजना (अंबरेला स्कीम) है जो कि 2018-2021 तकपंचायतों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता से संबंधित है। इसमें देश के 117 महत्वाकांक्षी जिलों में पंचायतों के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है तथा मिशन अंत्योदयके साथ से अभिसरण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिससे कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) प्राप्त किए जा सकें। इस योजना के संशोधित अनुमान स्तर में 'स्टैगरिंग' अव्ययित शेष राशि और प्रक्रियात्मक मुद्दों जैसे कि निधियों की उपलब्धता में देरी, संबंधित राज्य के हिस्से को जारी करने, अपेक्षित दस्तावेजों को विलंब से जमा करनेअथवा जमा न करने, के कारण काफी कमी देखी गई है।

समिति यह पाती है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमश: 720.80 करोड़ रुपये, 762.34 करोड़ रुपये और 790.53 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, संशोधित अनुमान को अव्ययित शेषराशि के कारण कम करके क्रमश: 622.41 करोड़ रुपए, 432.96 करोड़ रुपए और 499.94 करोड़ रुपए तक कर दिया गया।समिति की जांच से पता चला है कि बिहार

(76.53 करोड़ रुपये), अरुणाचल प्रदेश (27.24 करोड़ रुपये), गुजरात (21.63 करोड़ रुपये), तेलंगाना (7.26 करोड़ रुपये) आदि में बड़ी मात्रा में अव्ययित राशि है और कर्नाटक, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं।समिति ने पंचायती राज मंत्रालय की अनुदान मांगों (2021-22) की जांच करते हुए एक बड़ा मुद्दा देखा है कि राज्य सरकारें अन्य मंत्रालयों की निधियों की तुलना में पहली बार में पंचायती राज मंत्रालय की निधियों का उपयोग करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं हैं क्योंकि पंचायती राज मंत्रालय की निधियाँ काफी कम हैं और इसमें अनुपालन से संबंधित बहुत सारी औपचारिकताएं भी शामिल हैं।इसके अलावा, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने समिति के समक्ष स्पष्ट रूप से बताया था कि वित्त मंत्रालय द्वारा दो किश्तों के बजाय चार किश्तों में धनराशि जारी करने के नवीनतम निर्देश ने स्थिति को और जटिल कर दिया है।उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समिति महसूस करती है कि पंचायती राज मंत्रालय देश में आरजीएसए के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, वर्ष 2021-22 के दौरान लाभार्थी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ उपलब्ध निधियों के पूर्ण उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दे ताकि संशोधित अनुमान चरण में कमी से बचा जा सके।अत:, समिति पंचायती राज मंत्रालय से पुरजोर सिफारिश करती है कि वह संबंधित राज्य सरकारों के साथ उनकी अव्ययित शेषराशि को समाप्त करने, लंबित दस्तावेजों को जमा करने आदि के लिए समन्वय करे ताकि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा किया जा सके और 117 महत्वाकांक्षी जिलों में वास्तविक क्षमता निर्माण आरजीएसए के अंतिम वर्ष यानी 2021-22 तक हासिल किया जा सके।

सरकार का उत्तर

समिति इस बात की सराहना करेगी कि मंत्रालय आरजीएसए की स्कीम के तहत धन के इष्टतम उपयोग के लिए हमेशा प्रयास करता रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2020-21 के दौरान स्कीम के लिए 499.91 करोड़ रुपये के संशोधित प्राक्कलन आवंटन का 99.92% खर्च किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान निधियों के इष्टतम उपयोग से संबन्धित समिति के अवलोकन के संबंध मेंस्कीम के तहत आवंटित धन के उचित उपयोग के लिए रोडमैप निम्नलिखित है:

- वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) का समय पर अनुमोदन - वर्ष 2021-22 के लिए, राज्यों को जनवरी, 2021 के अंत तक वार्षिक कार्य योजनाओं को जमा करने के लिए कहा गया था ताकि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वार्षिक कार्य योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन किया जा सके। 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं को 20 अप्रैल, 2021 तक अनुमोदित किया गया है और उम्मीद है कि मई, 2021 तक शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजनाओं को मंजूरी दे दी जाएगी। यह राज्यों को अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पूरा वर्ष प्रदान करेगा।
- वार्षिक कार्य योजनाओं के गठन के लिए चेकलिस्ट को साझा करना और राज्यों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करना।
- राज्यों को अव्ययित शेष राशि को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया गया है और यह कि निधियों को जारी करने में प्राथमिकता उन राज्यों को दी जाएगी जिनके पास 01.04.2021 तक कम अव्ययित शेष राशि है।
- राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को यह बार-बार कहा गया है कि उन्हें वर्ष के दौरान ही अनुमोदित गतिविधियों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
- राज्यों के साथ अपने समान हिस्से की निर्मुक्ति, अव्ययित शेष को समाप्त करने और आवश्यक दस्तावेज जैसे अधिकतम सीमा तक धनराशि जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र आदि जमा करने के लिए प्रभावी ढंग से विचार करना।
- प्रगति की निगरानी और अनुमोदित गतिविधियों में तेजी लाने के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन कॉलों के माध्यम से राज्यों के साथ नियमित बातचीत। जैसे और जब भी जरूरत हो आवश्यक सलाह/स्पष्टीकरण जारी किया जाता है।
- क्षेत्र/राज्य-विशिष्ट वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग को भी प्रयोग में लाया जा रहा है।
- एमआईएस का रोल-आउट करना और अनुमोदित गतिविधियों की प्रगति की निरंतर निगरानी करना।
- कार्यकारी एजेंसी के अंतिम स्तर तक पीएफएमएस के माध्यम से अनिवार्य निधियों का निर्गमन। पीएफएमएस के साथ आरजीएसए एमआईएस का एकीकरण।

- योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण के लिए नए हस्तक्षेप। जहाँ तक संभव हो दूरस्थ शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बदले हुए परिदृश्य में रणनीति को साकार करना।

उपरोक्त बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से, यह उम्मीद की जाती है कि आवंटित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा और योजना के इच्छित उद्देश्यों को यथासंभव पूरा किया जाएगा।

(का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-योजना समन्वय, दिनांक: 15 जून, 2021**)**

सिफ़ारिश (क्रम सं0. 3)

<u>कोविड महामारी के दौरान पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किए गए अच्छे कार्य की सराहना</u>

समिति इस बात की सराहना करती है कि कोविड 19 महामारी के कठिन समय के दौरान, पंचायती राज मंत्रालय ने 24,000 गांवों में फील्ड स्तर की जनशक्ति और ड्रोन की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए ड्रोन उड़ान को पूरा करके 'स्वामित्व' को सफलतापूर्वक लागू किया और ई-ग्राम एप्लिकेशन, ऑनलाइन ऑडिट और 15वें वित्त आयोग तथा अन्य स्कीमों का ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस एकीकरण पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वास्तविक समय ऑनलाइन भुगतान के लिए ऑन-बोर्डिंग लॉन्च करके ई-पंचायत एमएमपी भी शुरू किया था। समिति महसूस करती है कि कोविड के बाद के समय में भी आगे कार्यान्वयन की उसी गति को बनाए रखना और तेज रखना है ताकि सरकार द्वारा परिकल्पित योजना के वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने सिफारिश को दर्ज़ कर लिया है और योजना के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करेगा।

(का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-योजना समन्वय, दिनांक: 15 जून, 2021)

सिफ़ारिश (क्रम सं0. 4)

<u>प्रशिक्षित निर्वाचित प्रतिनिधि (ईआर) के घटते रुझान</u>

समिति आरजीएसए के तहत प्रशिक्षित निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस) की घटती संख्या को देखकर लाचार हैं जो वर्ष 2017-18 में 53.70 लाख से घटकर 2018-19 में 43.04 लाख और 2019-20 में 33.98 लाख और 2020-21 के दौरान 31.01.2021 तक 14.29 लाख तक कम हो गई है। समिति ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) और 2018-19 के दौरान आगे जारी की गई निधि के बीच भारी अंतर को देखकर भी निराश है। उदाहरण के लिए, 2018-19 के दौरान1826.87 करोड़ रूपए की स्वीकृत की गई वार्षिक कार्य योजनाओं के मुकाबलेजारी की गई निधि घटकर 598.27 करोड़ रुपये थी और शेष वर्षों में भी यही स्थिति है। समिति को वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुमोदन के स्तर में एक परेशान करने वाली विशेषता भी मिली है जो 2018-19 में 1826.87 करोड़ रुपए से 2020-21 में बढ़कर 3302.94 करोड़ रुपए लगभग दोगुनी हो गई है, उसी समय जारी की गई निधियों का स्तर 2018-19 में 598.27 करोड़ रुपये से 2019-20 में 432.90 करोड़ रुपए और 2021-22 से अब तक 433.15 करोड़ रुपए के बीच लगभग स्थिर रहा। इस संबंध में, पंचायती राज मंत्रालय ने समिति के समक्ष खुलासा किया है कि 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से कम से कम 23 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक धनराशि जारी कर दी गई है तथा शेष राज्यों को उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षित विवरण, राज्य का हिस्सा जारी न करने और अव्ययित शेष सहित कारणों से छोड़ दिया गया है। समिति आरजीएसए के तहत यह भी पाती है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को पशुपालन, वनरोपण आदि जैसे विस्तृत विभिन्न क्षेत्रों में सेक्टर एनेबलर्स के रूप में कार्य करना है ताकि पंचायतों की शासन क्षमता का विकास

एसडीजी को वितरित करने जो गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे और भी अन्य क्षेत्रों को कवर करने में हो सके।

इस संबंध में, पंचायती राज मंत्रालय ने देश के 117 आकांक्षी जिलों में 2020-21 के दौरान तैयार किए गए 2.47 लाख जीपीडीपी के साथ 41.13 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करके समिति को समझाने का काम किया है। हालांकि, समिति महसूस करती है कि 2018-19 के दौरान प्रशिक्षित निर्वाचित प्रतिनिधियों की घटती दर को देखते हुए वार्षिक कार्य योजनाओं और जारी किए गए फंड के बीच व्यापक अंतर दिखाई देता है, तथ्य पूरी तरह से अलग कहानी दर्शाते हैं और जीपीडीपी स्पष्ट रूप से केवल कागजों पर दिखाई देते हैं। इन जीपीडीपी को वित्तपोषित करने की दृष्टि से समिति महसूस करती है कि पंचायतों के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान राशि का सार्थक उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए, समिति अनुशंसा करती है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के संबंध में स्थिति को उलटने के लिए सभी प्रयास किए जाएं और स्वीकृत वार्षिक कार्य योजनाओं और तेजी से जारी की गई धनराशि के बीच बढ़ते अंतराल को कम किया जाए।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय इस तथ्य से सहमत है कि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) में लक्ष्यों की तुलना में प्रशिक्षण की उपलब्धि कम थी। हालांकि, यह सराहना की जा सकती है कि प्रशिक्षण गतिविधियों को केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने संबंधित वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर अनुमोदित किया गया था। इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना था कि अनुमोदित गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। मंत्रालय अपनी ओर से संबंधित वर्ष में ही अनुमोदित गतिविधियों को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर दबाव डालता रहा है। कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों जैसे हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार में चुनाव कराने में देरी को भी प्रशिक्षण की कम उपलब्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसा लगता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायतों के अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण संबंधित गतिविधियां भी कोविड महामारी के कारण प्रभावित हुई है। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए मंत्रालय ने

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी प्रशिक्षण रणनीति को निम्नानुसार पुन: व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित किया है:

- मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायतों और नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 आकांक्षी जिलों पर प्राथमिकता के साथ पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चरणबद्ध संतृप्ति दृष्टिकोण का पालन करते हुए पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण।
- नव निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस) को उनके चुनाव के 6 महीने के भीतर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण, उसके बाद दो साल के भीतर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
- वार्ड सदस्यों या पंचों को एक स्पष्ट भूमिका के साथ संगठित करना, शिक्षित करना और क्षेत्रीय संसाधन व्यक्तियों में बदलना और इस प्रकार उन्हें परिवर्तन के एजेंटों में बदलने के लिए अधिक प्रभाव डालना।
- शिक्षाविदों/संकाय से पीआरआई के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने और मास्टर प्रशिक्षकों के पूल के विकास के लिए उत्कृष्टता संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के साथ साझेदारी और नेटवर्किंग।
- प्रशिक्षण के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए सहायता
- पीयर एक्सचेंज के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने के लिए पीआरआई के लिए एक्सपोजर दौरों को बढ़ाना और पीयर लर्निंग साइट्स के रूप में मॉडल पंचायतों का विकास करना।
- पंचायती राज संस्थाओं और उनके हितधारकों की डिजिटल साक्षरता पर ध्यान देना
- संयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से एसएचजी-पीआरआई अभिसरण, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण और उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण।
- स्वयं के राजस्व स्रोत सृजन पर ध्यान देना
- आईपी आधारित प्रौद्योगिकी, स्मार्टफोन आधारित अनुप्रयोगों के उपयोग, सोशल मीडिया के उपयोग, व्यापक पहुंच के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर लघु फिल्मों का उपयोग करके पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच व्यापक पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

इसके अलावा, कोविड महामारी के संदर्भ में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सीबीएंडटी के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाने और ऑनलाइन हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई है कि क्षमता निर्माण के प्रयास पटरी से नहीं उतरे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में प्रशिक्षण का विवेकपूर्ण मिश्रण मौजूदा संसाधनों का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करेगा। यह जानकर खुशी हो रही है कि कोविड महामारी के बावजूद, 2020-21 के दौरान कुल 33.34 लाख (लगभग) ईआर और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान अब तक, 31 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 1.37 करोड़ (लगभग) ईआर और अन्य हितधारकों को दिए जाने वाले विभिन्न और कई प्रशिक्षण शामिल हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं और अन्य हितधारकों की प्रशिक्षण गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए संशोधित प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) शुरू की गई है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनिवार्य रूप से टीएमपी पर पंजीकरण कराना होगा। जैसा कि समिति को सूचित किया गया कि आरजीएसए के लिए एमआईएस को भी प्रशिक्षण सहित वार्षिक कार्य योजना की अनुमोदित गतिविधियों की प्रगति को जानने के लिए चालू किया गया है। उपरोक्त बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि सीबी एंड टी गतिविधियों के लक्ष्यों को अधिकतम संभव सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है।

(का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-योजना समन्वय, दिनांक: 15 जून, 2021**)**

सिफ़ारिश (क्रम सं0 5)

<u>विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम पंचायत भवनों की कमी तथा ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण का निम्न स्तर</u>

समिति यह देखकर विवश है कि देश में 2.56 लाख ग्राम पंचायतों में से केवल 1.98 लाख ग्राम पंचायतों के अपने स्वयं के भवन हैं तथा सुमित बोस की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों जिसमें दिसंबर, 2016 में पंचायत में कर्मियों की कमी के मुद्दे की बात

उठाई गई थी, के बाद भी केवल 2.01 लाख ग्राम पंचायतें कम्प्यूटर से लैस हैं। इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी विस्तार से बताया है कि 30,000 से अधिक ग्राम पंचायत भवन या तो पूरे हो चुके हैं या आरजीएसए, मनरेगा, वित्त आयोग अनुदान आदि सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूर्ण हो रहे हैं, इसके अलावा 1347 नई ग्राम पंचायतों का निर्माण किया गया है और गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) के तहत छह राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 24,808 भवन निर्माणाधीन हैं। । समिति अनुशंसा करती है कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जिनके पास ग्राम पंचायत भवनों की कमी है, उन संबंधित ग्राम पंचायत भवनों का शीघ्र निर्माण करने के लिए प्रयास किया जाए।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्रामीण स्थानीय निकाय को अपना एक भवन उपलब्ध कराने के लिए सम्मानित समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंता को पूरी तत्परता से लेता है। मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकतम संभव सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी अपने सभी प्रयास कर रहा है। आरजीएसए की योजना के तहत लगभग 4400 ग्राम पंचायत भवनों की मंजूरी के अलावा, मंत्रालय ने योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में 340 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार, झारखंड मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) के एक घटक के रूप में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण भी किया गया था। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, जीकेआरए के तहत कुल 1347 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है और 24808 ग्राम पंचायत भवन निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग के संयुक्त अनुदान का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत सभी आवश्यक जरूरतों के लिए किया जा सकता है और इस प्रकार यह ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण और मरम्मत को भी कवर

करेगाजो ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा 15वें वित्त आयोग के लिए अनिवार्य गतिविधियों के रूप में अनुमेय गतिविधियां हैं।

इस दिशा में संतृप्ति में तेजी लाने की दृष्टि से, इस मंत्रालय के सचिव और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 10.06.2020 को राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को एक संयुक्त परामर्शिका जारी की गई थी जिसमें अभिसरण मोड के तहत विभिन्न संसाधनों जैसे अव्ययित 14वां वित्त आयोग, (एफ.एफ.सी.) अनुदान, 15वां वित्त आयोग अबद्ध अनुदान, मनरेगा निधि और राज्य वित्त आयोग (एसएफसी)/स्वयं स्रोत राजस्व (ओएसआर) आदि से प्राप्त अन्य निधि का उपयोग करके ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए अनुरोध किया गया था। इस दिशा में इस मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी पत्र दिनांक 07.01.2021 के अनुसार, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्तर पर विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके ग्राम पंचायत भवनों के संबंध में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए प्रयास करें। उन्हें सलाह दी गई है कि वे ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए निकटवर्ती ग्राम पंचायतों का एक समूह बनाने की संभावना की जांच करें जहां ग्राम पंचायतों का आकार छोटा है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि नए ग्राम पंचायतों का निर्माण करते समय राज्यों को एक साथ केंद्रीय स्कीमों के तहत या राज्य के बजट या पंचायतों के ओएसआर से उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से भी ग्राम पंचायत भवन के निर्माण का प्रावधान करना चाहिए।

इस दिशा में निरंतर की जाने वाली कार्यवाही से यह आशा की जाती है कि ग्राम पंचायत भवनों की कमी में काफी हद तक गिरावट होगी।

(का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-योजना समन्वय, दिनांक: 15 जून, 2021**)**

सिफारिश क्रम सं.7

शक्तियों का हस्तांतरण

समिति नोट करती है कि अनुच्छेद 243जी राज्यों को पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण (निधि, कार्य और कार्यकर्ताओं) के मामले में स्वविवेक की अनुमति प्रदान करता है और राज्यों में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मनाने के बावजूद पंचायतों को जिस हद तक शक्तियों का हस्तांतरण किया गया है उसमें अंतर है। समिति आगे नोट करती है कि पन्द्रहवां वित्त आयोग (xv वित्त आयोग) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 60,750 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है और वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए पन्द्रहवें वित्त आयोग की अपनी रिपोर्ट में सभी तीन चरणों में ग्रामीण स्थानीय निकायों और नागरिकों की बुनियादी सेवाओं अर्थात् जलापूर्ति, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइटिंग, और सड़कों द्वारा कनेक्टिविटी, विभिन्न सामुदायिक परिसम्पत्तियां जैसे ग्राम पंचायत भवन आदि प्रदान करने के लिए अवसंरचना तथा अनिवार्य परिसम्पत्ति सृजन के लिए 28 राज्यों में पांचवी और छठी अनुसूची क्षेत्रों के परम्परागत निकायों के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है। कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न संवेदनशीलता के समाधान के मद्देनजर स्थानीय निकायों (ग्रामीण और शहरी) के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु स्थानीय सरकारों के लिए अनुदान में से अतिरिक्त 70,051 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। समिति का विचार है कि नागरिकों की बुनियादी सेवाओं को प्रदान करने के लिए अवसंरचना तथा अनिवार्य परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु चौदहवें और पन्द्रहवें अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय अनुदानों को अनिवार्य बनाया जाए जो राज्यों को शक्तियों का हस्तांतरण करे और पंचायतों के लिए कार्य करे जिससे कि ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास के माध्यम से पंचायती राज के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। अतः समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण करने के लिए राज्यों को सहमत करने के लिए अपना प्रयास जारी रखे और पाई गई कमियों पर केन्द्रीय वित्त आयोग/ वित्त मंत्रालय से दिशानिर्देश पाने के अलावा हस्तांतरित कार्यों को प्रभावी रूप से करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु वित्तीय सहायता दी जाए।

सरकार का उत्तर

पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों को पर्याप्त निधि, कार्य और कर्मियों के हस्तांतरण के लिए और राज्य सरकारों को इसके लिए राजी करने के लिए लगातार अनुसमर्थन करता है। पंचायतों के लिए हस्तांतरित किए जाने वाले पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के लिए भी अनुसमर्थन दिया गया है ताकि पंचायतें ग्रामीण नागरिकों के लिए स्वायत्त रूप से मूल सेवा देने में समर्थ हो सकें। कार्यों के हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने हस्तांतरण जैसी अनेक पहलुओं जैसे कार्यकलाप मैपिंग, पंचायतों के लिए कार्यकर्ताओं को नियोजन आदि पर परामर्शी जारी की है। इसके अलावा पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तांतरण के सम्बन्ध में राज्यों के कार्य निष्पादन को भी पंचायत हस्तांतरण सूचकांक (पीडीआई) पर अध्ययन के माध्यम से मापा गया है।

संविधान के अनुच्छेद-243आई के अनुसार राज्य सरकारों को प्रत्येक पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) गठित करना होता है जो पंचायत के वित्त की समीक्षा करेगा और राज्य और पंचायतों के बीच नेट कार्यवाही करों, कर्तत्यों टोल और राज्य द्वारा वसूले गए शुल्क का वितरण, करों, कर्तव्यों, टोल और शुल्क जो पंचायतों को या पंचायत द्वारा सौंपा गया का निर्धारण, राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता और पंचायतों की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय के लिए सिफारिश करेगा। पन्द्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2024-25 से पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों की प्राप्ति के लिए पात्रता स्थिति के अनुरूप एसएफसी का गठन निर्धारित किया है और संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधान के लिए एसएफसी की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पंचायती राज मंत्रालय एसएफसी के समय पर गठन और पंचायत वित्त के सुधार के लिए उनकी सिफारिश के कार्यान्वयन हेतु राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

पंद्रहवां वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए दो भागों में अनुदान की सिफारिश की है। अबद्ध अनुदान का उपयोग संविधान की 11 अनुसूची में निर्धारित 29 विषयों में महसूस की गई आवश्यकताओं के लिए आरएलबी द्वारा किया जाएगा। बद्ध अनुदानों का उपयोग राष्ट्रीय फोकस क्षेत्रों जलापूर्ति और स्वच्छता में किया जाना है।

पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रचालनीकरण के लिए वित्त मंत्रालय को भी मसौदा दिशानिर्देश प्रेषित किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अन्तिम दिशानिर्देशों के प्रावधान को राज्यों में आरएलबी को अनुदान जारी करने के लिए प्रचालित किया जाएगा। इस प्रकार पंद्रहवें वित्त आयोग निधि को पंचायतों को अधिक निधि हस्तांतरित करने के लिए अंशदान करने के साथ-साथ उन्हें हस्तांतरित कार्यों में उसका उपयोग किया जाएगा।

(का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-योजना समन्वय, दिनांक: 15 जून, 2021**)**

सिफारिश (क्रम सं.8)

<u>फ्लोरवाइज ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण और पंचायतों के आस-पास बैंक शाखाओं की आवश्यकता के सम्बन्ध में</u>

पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों के निरीक्षण के दौरान आरजीएसए से संबंधित विभिन्न मुद्दे जो समिति के समक्ष आए वे हैं- भूमि की अड़चनें, कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न होने, कार्यालयी कार्यों आदि के लिए स्टेशनरी उपलब्ध न होने, ओडिशा में पंचायतों के निकट बैंक शाखाएं खोलने की आवश्यकता, ऑडिट प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु में ग्राम सभा चुनावों को रोकने की आवश्यकता आदि के संबंध में पंचायतों में सामान्य सेवा केंद्रों के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के कारण फ्लोरवाइज पंचायत भवनों के निर्माण हैं। ये सभी मुद्दें पंचायती राज मंत्रालय के साथ उठाए गए पंचायती राज मंत्रालय से अद्यतन जानकारी के आधार पर समिति पाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भूमि का अभाव है, दो मंजिला ग्राम पंचायत भवन के निर्माण की कोई मनाही नहीं है।

समिति यह नोट करके भी क्षुब्ध है कि 2.46 लाख ग्राम पंचायतों में से केवल 1.41 लाख ग्राम पंचायतें ग्राम स्वराज अनुप्रयोग का उपयोग कर रही हैं और उसकी तुलना में ऑनलाइन भुगतान हो रहे हैं। निरीक्षण के दौरान समिति ने मंत्रालय से आगे पंचायत भवनों के आस-पास, जहां ग्रामीण आबादी को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने सम्बन्धी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, बैंक शाखाओं की उपलब्धता न होने के के सम्बन्धित मुद्दे पर जहां पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने का महत्व है बहुत ढीला-ढाला जवाब प्राप्त किया।समिति नोट करती है कि एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को अब ऑनलाइन भुगतान शुरू करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवनों के निकट बैंक शाखाओं के उपलब्ध न होने के कारण समस्या का सामना कर रहे हैं, सिफारिश करती है कि मंत्रालय ऑनलाइन भुगतान करने में ग्राम पंचायतों की संख्या की कमी में सुधार करने में कार्य करे और या तो पंचायत भवनों के आस-पास या पंचायत भवनों में छोटी बैंकिंग यूनिट का साधन सृजित करने के लिए वित्त मंत्रालय के सहयोग से वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों की सहायता करे जहां ग्रामीण आबादी के लिए बैंकिंग सेवाएं देना व्यवहार्य हो। उन्हें देशभर में उपलब्ध डाकघरों की श्रृंखला से सम्बन्धित बैंकिंग कार्यों की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। ओडिशा में ग्राम पंचायतों में बैंक शाखाएं खोलने के मुद्दे पर समिति को सूचित किया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय पहले ही वित्तीय सेवाएं विभाग से इस मामले को उठा चुका है। तमिलनाडु में ग्राम सभा चुनावों को रोकने के संबंध में समिति को सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पंचायत चुनाव अप्रैल-मई, 2021 में असेम्बली चुनाव के बाद किया जाएगा। पिछली स्थिति को देखते हुए समिति सिफारिश करती है कि सामान्य सेवा केन्द्र के विरूद्ध शिकायतों का मुद्दा और ओडिशा में ही बैंक शाखा खोलने तथा अन्य राज्य में नहीं को पहले ही सही दिशा में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लिया जाता है। साथ ही समिति पंचायती राज मंत्रालय पर डिस्पले बोर्ड रखने के लिए राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के सहयोग करने पर जोर दिया है जिसमें सभी ग्राम पंचायत भवनों में शुल्क के साथ दी गई सेवाओं को दिखाया जाए।

सरकार का उत्तर

जहां तक मंजिल वार ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण का सम्बन्ध है, समिति ने उसके सामने लाई गई स्थिति को नोट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भूमि की कमी नहीं है वहां दो मंजिला ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण पर कोई पाबंदी नहीं है।

ओडिशा में बैंकिंग सुविधाओं के संदर्भ मेंपंचायती राज मंत्रालय ने इस मामले को वित्त सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है। परिणामस्वरूप, वित्त सेवाएं विभाग ने विभिन्न ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज स्कीमों के तहत सभी लाभार्थियों को शामिल करने के उद्देश्य से और अधिक शाखाएं खोले जाने संबंधी उपयुक्त कार्रवाई हेतु दिनांक: 25.03.2021 के पत्र जारी किया है ताकि गांव वालों को ज्यादा लम्बा न चलना पड़े। वित्त सेवाएं विभाग ने एलएलबीसी संचालक ओडिशा को भी उनगांवों की सूची अग्रेषित की है जो प्राथमिकता पर बैंकिंग आउटलेट तैनाती द्वारा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 5 किमी. परिधि के अंदर बैंकिंग टच द्वारा कवर नहीं किए गए।

सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया गया है कि पंचायतों द्वारा किए गए सभी विनिमयों (अर्थात प्राप्ति एवं व्यय) केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत 1 अप्रैल 2021 से 100 प्रतिशत ऑनलाइन किए जाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 के दौरान, 1.54 लाख पीआरआई ने ऑनलाइन विनिमय किए हैं। उनको अनेक ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं हैंडहोल्डिंग सत्र भी सतत रूप से किए जाते है। इस संबंध में, बाकि ग्रामीण स्थानीय निकाय भुगतान उद्देश्य के लिए यथा-शीघ्र ई-ग्राम स्वराज पीएफएमएस इंटरफेस पर ऑनबोर्ड होंगे।

(का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-योजना समन्वय, दिनांक: 15 जून, 2021**)**

(सिफ़ारिश (क्रम सं. 10)

<u>14वें वित्त आयोग के अनुदानों पर 1.98 लाख लेखापरीक्षा आपत्तियों पर संबंधित राज्य सरकारों से की गई कार्रवाई की शीघ्र प्राप्ति</u>

समिति इस बात की सराहना करती है कि पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों के लिए संपत्तियों के डी-डुप्लिकेशंस से बचने और ऑडिट ऑनलाइन के लिए 2.46 लाख ग्राम पंचायतें

अपने जीपीडीपी (2020-21) को अपलोड कर रहे हैं, 2.31 लाख ग्राम पंचायतें अपनी ईयर बुक्स (2019-20) बंद कर रही हैं, 1.41 लाख ग्राम पंचायतें ऑनलाइन भुगतान से लैस हैं और 98,557 ग्राम पंचायतों को ई- ऑडिट की आवश्यकता है जो प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम 20% ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को दर्शाते हुए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा योजना, निगरानी लेखांकन और ऑनलाइन भुगतान, ग्राम मानचित्र (जीआईएस) जैसे विभिन्न कार्यों को समामेलित करने के लिए ई-ग्राम स्वराज जैसे विभिन्न एप्लीकेशन्स को बढ़ावा देने के माध्यम से 2.55 लाख पंचायतों का स्वचालन कर रहा है। हालांकि, वे यह जानकर निराश हैं कि छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश कुछ ही राज्य अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। इसलिए, समिति महसूस करती है कि हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि इसी तरह का काम अन्य राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में भी किया जाए।

जांच के दौरान वृहत स्तर पर समिति के सामने चौदहवें वित्त आयोग अनुदान (2015-2019) के कथित दुरुपयोग के आलोक में पंचायतों के लिए लेखापरीक्षा की आवश्यकता जैसे मुद्दे सामने आए।

पंचायतों के लिए चौदहवें वित्त आयोग अनुदान के दुरुपयोग के मुद्दे के समाधान करने के संबंध में, समिति यह जानकर निराश है कि 14 राज्यों, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश द्वारा अधिकाधिक 1.95 लाख ऑडिट आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इस संदर्भ में, समिति ने पाया कि पंचायती राज मंत्रालय ने 98,557 ग्राम पंचायतों को ऑडिट ऑनलाइन के अंतर्गत लाने की योजना बनाई है और 5,207 से अधिक लेखा परीक्षकों को पहले ही ऑनलाइन पंजीकृत किया गया है जिसमें 1.94 लाख लेखापरीक्षा टिप्पणियों को दर्ज किया गया है और 10,853 लेखापरीक्षा रिपोर्टें तैयार की गई। ऊपर दिखाए गए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि पंचायतों द्वारा 14वें वित्त आयोग अनुदान पर 1.98 लाख तक की अधिकाधिक लेखापरीक्षा आपत्तियां उठाना पंचायतों के

कामकाज पर प्रश्नचिह्न लगाता है और पंचायती राज मंत्रालय को संबंधित से की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ शीघ्रता से आगे आना चाहिए।

सरकार का उत्तर

ऑडिट ऑनलाइन प्रणाली में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों के प्रारंभिक निष्कर्ष हैं, जिन्हें संबंधित राज्य लेखापरीक्षा प्रक्रिया और राज्य पंचायती राज अधिनियम/नियमों के अनुसार आगे संसाधित करने की आवश्यकता होगी।

पंचायती राज मंत्रालय संबंधित राज्यों से अनुरोध करेगा कि वे अपने अधिनियम/नियमों में मौजूदा प्रावधानों के अनुसार समयबद्ध तरीके से लेखापरीक्षा टिप्पणियों से शीघ्रता से निपटें। ऑडिट ऑनलाइन एप्लिकेशन में ऑडिट रिपोर्टों के साथ अंतिम की गई कार्रवाई रिपोर्टों को अपलोड करने का भी प्रावधान है। (का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-योजना समन्वय, दिनांक: 15 जून, 2021**)**

सिफारिश(क्रमसं.11)

<u>वित्त मंत्रालय का15वें वित्त आयोग के उपयोग के लिए पंचायतों के कामकाज में सुधार के लिए दिशानिर्देश जारी करना</u>

समिति के रूप में संदर्भित पंद्रहवें वित्तए आयोग अनुदान राशि के कथित दुरुपयोग के संबंध में बड़ी संख्या में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को देखते हुए, पंचायतों के कामकाज में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और उस पर विशेषज्ञ समिति और सांसदों के विचार प्राप्त करने के माध्यम से सुधार लाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, स्थिति को अद्यतन करने वाले पंचायती राज मंत्रालय ने समिति के समक्ष सूचित किया है कि पंचायती राज मंत्रालय पंद्रहवें वित्ते आयोग अनुदानों के उपयोग पर दिशानिर्देश जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय को इनपुट/ सूचना प्रदान करता है और विशेषज्ञों/सांसदों के सुझावों पर भी विचार किया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों पर की गई कार्रवाई प्राप्त करने के मुद्दे पर समिति

पंचायती राज मंत्रालय के रुख को नोट करने से निराश है कि यह मुद्दा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अत: समिति अनुशंसा करती है कि पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग की निधियों के उपयोग में पारदर्शिता लाने के लिए और उपाय किए जाने चाहिए।

सरकारकाउत्तर

15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 से 15वें वित्त आयोग अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए अनंतिम वार्षिक खातों और लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के प्रदर्शन की पात्रता शर्त निर्धारित की है। इन आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए आरएलबी की सुविधा के लिएपंचायती राज मंत्रालय ने अनिवार्य रूप से आरएलबी को अप्रैल, 2021 से ई-ग्रामस्वराज पर अनिवार्य रूप से ऑन-बोर्ड किया है।

उनके वार्षिक खातों का ऑडिट भी ऑडिटऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना है। ई-ग्राम स्वराज/ऑडिट ऑनलाइन के माध्यम से 15वें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग के लिए इन आवश्यकताओं से पंचायतों द्वारा निधियों के उपयोग में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। (का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-पीएआरएलदिनांक: 15जून, 2021)

सिफारिश(क्रमसं.12)

<u>कोषागार से सरपंच के स्थान पर राज्य प्रखंड विकास अधिकारी को राशि का हस्तांतरण</u>

समिति आगे यह भी देखती है कि लक्ष्य की कल्पना पर, सभी ग्राम पंचायतें ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए 18 विभागों को शामिल करते हुए 29 सेवाओं से संबंधित कार्यों को करने के लिए ग्रामीण आबादी बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और परिसंपत्तियों के सृजन के माध्यम से विकसित होंगी। चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग ने इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त अनुदान दिया है। हालांकि, अभी भी विकास प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि राज्यों में प्रखंड विकास अधिकारियों को देश के ग्रामीण विकास के लिए राज्यों को केंद्रीय निधियों के कार्यान्वयन, रिलीज/उपयोग की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जाए। इसलिए समिति इस बात पर जोर देती है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों को केंद्रीय आवंटन जारी करने/उपयोग

करने की जिम्मेदारी प्रखंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को दी जानी चाहिए ताकि ग्राम पंचायतें/ग्रामीण स्थानीय निकाय ग्रामीण आबादी के समग्र विकास के लिए विकास कार्यों और अन्य कार्यों को करने के लिए प्रखंड विकास अधिकारियों को सिफारिश कर सकें। पंचायती राज मंत्रालय को इस उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करना चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

पंद्रहवें वित्तप आयोग ने यह निर्धारित किया है कि वित्त मंत्रालय (एमओएफ) से प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर अनुदान राज्य सरकारों द्वारा आरएलबी को सीधे जारी किया जाना है, जिसका राज्य सरकारों द्वारा धन हस्तांतरित करते समय अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

राज्यों के अपने-अपने नियम/प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा प्रखंड विकास अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग आरएलबी में ग्रामीण विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है। इस प्रकार, संबंधित राज्यों द्वारा बीडीओ को भी केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग की दिशा में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) / ब्लॉक पंचायत विकास योजनाओं की निगरानी की तैयारी में शामिल किया जा रहा है। (का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-योजना समन्वय, दिनांक: 15 जून, 2021**)**

सिफारिश(क्रमसं.13)

<u>'पंचायतों को प्रोत्साहनीकरण'</u>

समिति ने नोट किया कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देश भर की पंचायतों को "पंचायतों के प्रोत्साहनीकरण" के तहत पांच अलग-अलग श्रेणियों के तहत प्रदान किए जाते हैं, जिनमें सामाजिक-आर्थिक विकास, बाल हितैषी प्रथाओं को अपनाने के लिए; कामकाज में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही; राजस्व सृजन/सामाजिक क्षेत्र के प्रदर्शन में स्वच्छता/नागरिक सेवाएं/नवाचार; राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं आपदा प्रबंधन पंचायतों में बेहतर प्रदर्शन के लिए जागरूकता एवं प्रेरणा पैदा करना शामिल है। बजट अनुमान 2021-22 के लिए आवंटन बीई 2020-21 की तुलना में 48 करोड़ रु. में 2.13% की वृद्धि

देखी गई है। समिति चाहती है कि योजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग स्थानीय और राष्ट्रीय दैनिकों में कार्यक्रम राष्ट्री य पंचायत पुरस्कापर की अर्हता के व्यापक प्रचार के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए व्यावहारिक रूप से किया जाए ताकि अन्य पंचायतों को अपने कामकाज में सुधार करके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए प्रेरित किया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि सभी ग्राम पंचायतों को एक मंच पर जोड़ने के उद्देश्य से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाए ताकि पुरस्कारों के विवरण और चयन के मानदंडों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके और सूचना के आसान प्रसार के लिए पुरस्कार विवरण के साथ चयन किया जा सके।

सरकार का उत्तर

'पंचायतों के प्रोत्साहनीकरण' योजना के माध्यम से, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा सुशासन की एक समग्र प्रणाली बनाने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके द्वारा योग्य/पात्र पंचायतों और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को दूसरों के अनुसरण के लिए एक मॉडल स्थापित करने वास्तेे पुरस्कार और वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से मान्यता मिलती है। यह अनुमान है कि सामान्य रूप से सार्वजनिक विकास के उद्देश्यों के लिए जारी किए गए ये वित्तीय प्रोत्साहन, जमीनी स्तर पर समग्र सुशासन के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्र को लाभ होता है। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को भी जारी पुरस्कार राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इन निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए पुरस्कार विजेता पंचायतों को दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक निर्देश जारी करना सुनिश्चित कर रहे हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने यह भी स्वीकार किया है कि पुरस्कार राशि बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में बहुत योगदान दे रही है और वितरण और सेवाओं आदि में सुधार के लिए उपयोग की जा रही है।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए देश भर में पंचायतों के बीच अधिक जागरूकता और प्रेरणा पैदा करने के लिए जोरदार प्रयास करते हुए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय समाचार पत्रों, परामर्शिकाओं और फोलोअप में अपने स्वयं के विज्ञापनों के माध्यम से इसके प्रचार के लिए प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करें। मंत्रालय के इस प्रयास को राज्यों द्वारा महत्वपूर्ण रूप से समर्थन दिया गया

है जो विभिन्न उपायों जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पुरस्कार विजेताओं को आमंत्रित करने, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट / सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना के प्रसार और आधिकारिक संचार आदि के माध्यम से इसके लिए पर्याप्त योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। पीआरआई के बीच प्रतिस्पर्धा की योजना और योजना बनाने के ऐसे संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप, प्रतिस्पर्धा का स्तर पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है क्योंकि वर्ष 2021 में भागीदारी की कुल संख्या लगभग 74,000 तक पहुंच गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 28% की वृद्धि है।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए, पुरस्कारों के लिए आवेदन करने और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के संबंध में विवरण/प्रक्रियाओं, दिशानिर्देशों, प्रश्नावली और अन्य प्रासंगिक जानकारी के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए पंचायतों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल/एमआईएस (www.panchayataward.gov.in) उपलब्ध है। इसके अलावा, तकनीकी परामर्श और व्यवहार्यता के आधार पर, पुरस्कारों पर इनपुट प्राप्त करने के लिए सभी पंचायतों को एक मोबाइल-आधारित ऐप के माध्यम से एक साझा मंच प्रदान करने की संभावना का पता लगाने के लिए चर्चा की जाएगी और साथ ही सूचना के प्रसार की दिशा में मंत्रालय के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा। (का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-योजना समन्वय, दिनांक: 15 जून, 2021**)**

सिफारिश(क्रमसं.14)

<u>एक्शन रिसर्च एंड रिसर्च स्टडीज (एआर एंड आरएस) के तहत किया गया धीमा कार्य</u> समिति की राय में पंचायती राज एक उभरती हुई प्रक्रिया है जिसमें लगातार नए विकास होते रहते हैं, नियमित जांच की आवश्यकता होती है ताकि प्रभावी कार्यक्रम, योजना और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संरचनात्मक परिवर्तन किया जा सके। समिति ने पाया कि आर्थिक विकास और आय सृजन के क्षेत्रों में शुरू किए गए 11 अध्ययनों में से पुनर्गठित आरजीएसए की शुरूआत के बाद सेपंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण का प्रभाव मूल्यांकन, पंचायती राज संस्थाओं के लिए लैंगिक प्रतिक्रियात्मक पहल, मिजोरम में ग्रामीण उत्पादों के विपणन में ग्राम सभा/ग्राम पंचायतों की भूमिका की प्रभावशीलता, ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान का उपयोग और प्रभाव मूल्यांकन; ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तुलना में पंचायत वितरण सेवामीडिया और प्रचार और कार्य एवं अनुसंधान अध्ययन का मूल्यांकन, 3 अध्ययन पूरे हो चुके हैं, 5 पूरा होने के अंतिम चरण में हैं, 1 ड्राफ्ट जमा करने के

चरण में है और बाकी दो अध्ययनों के जून और अगस्त 2021 में ड्राफ्ट जमा करना हैं। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय सभी लंबित अध्ययनों को समयबद्ध तरीके से पूरा करे और योजना के शुरू होने के बाद से पंचायती राज संस्थाओं के परिवर्तन और अब तक उसमें शामिल परिणामी संरचनात्मक परिवर्तनों पर एक व्यापक दस्तांवेज तैयार करे। समिति यह देखते हुए कि आरजीएसए का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाना है, आशा है कि व्यापक दस्ताखवेज के परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थानों के परिवर्तन के लिए एक अधिक प्रभावी और शक्तिशाली उपकरण के रूप में योजना का पुनर्गठन होगा। समिति को इस संबंध में परिणाम से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय निर्धारित समय अवधि के भीतर स्वीकृत अध्ययनों को पूरा करने के लिए एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई करता है, जिसका आमतौर पर उनके द्वारा अनुपालन किया जाता है। एक बार अध्ययन पूरा हो जाने के बाद, नीतिगत निर्णयों में उपयुक्त रूप से शामिल करने के लिए संबंधित को निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई।

जैसा कि समिति ने स्वीकृत अध्ययनों की प्रगति के बारे में जानना चाहा, इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि, "समय और कार्य अध्ययन" और "पीआरआई के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के प्रभाव मूल्यांकन" अध्ययनों की रिपोर्ट मंत्रालय में जांच के अधीन है। अध्ययन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और यह स्वीकृति चरण में है। हालांकि, मसौदा रिपोर्टों के आधार पर, जिसमें अध्ययन के अधिकांश नियम एवं शर्तें शामिल हैं और कुछ मामूली संशोधन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मंत्रालय ने सुधारात्मक उपायों के लिए राज्यों को आवश्यक परामर्शिका जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। इसके अलावा, "पूर्वोत्तर राज्यों के गैर-भाग IX क्षेत्रों में शासन व्यवस्था का दस्तावेजीकरण" पर अध्ययन, "ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और आय सृजन में पंचायतों की भूमिका"; पंचायती राज संस्थाओं के लिए लैंगिक उत्तरदायी पहल और ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान का उपयोग पर अध्यउयन पूरा कर लिया गया है। इन अध्ययनों के निष्कर्षों/सिफारिशों के साथ-साथ अध्ययन के निष्कर्ष और सिफारिशें जो वर्तमान में मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

(आरजीएसए) केंद्र प्रायोजित योजना के स्वतंत्र मूल्यांकन की प्रगति पर हैं, मेसर्स नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर), नई दिल्ली द्वारा पूरा किया जा रहा (अगस्त, 2021 तक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है), एक व्यापक पेपर का मसौदा तैयार किया जाएगा और राष्ट्रीय ग्राम स्व राज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के पुनर्गठन में पुनरीक्षण / संशोधन पंचायती राज संस्थाओं के परिवर्तन के लिए योजना को और अधिक प्रभावी और शक्तिशाली उपकरण बनाने के लिए उपयुक्त रूप से शामिल किए जाएंगे।

उपरोक्त के अलावा मंत्रालय ने मीडिया और प्रचार और एक्शन रिसर्च एंड रिसर्च स्टडीज (एआर एंड आरएस) की योजनाओं का तीसरे पक्ष का मूल्यांकन भी किया था। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है और मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ इन योजनाओं को जारी रखने की सिफारिश की है। रिपोर्ट के निष्कर्षों/सिफारिशों का उपयोग वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-2026 तक अगले 5 वर्षों के लिए योजनाओं को संशोधित करने में किया जा रहा है।

(का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-योजना समन्वय, दिनांक: 15 जून, 2021**)**

सिफारिश (क्रमसं.15)

<u>मीडिया और प्रचार (एम एंड पी)</u>

समिति नोट करती है कि मीडिया और प्रचार योजना के तहत बजट अनुमान 2020-21 को बढ़ाकर बीई 2021-22 में 50% की वृद्धि के साथ 12 करोड़ रूपए कर दिया गया जिसमें पंचायती राज कार्यक्रमों का पक्ष समर्थन और प्रचार को महत्वद दिया जाता हैजिसका उद्देश्यि सभी स्त रों पर पंचायतों के प्रदर्शन को बढ़ाने और उनका क्षमता निर्माण करना है। मीडिया और प्रचार के तहत किया गया मुख्यय व्य य तिमाही ग्रामोदय संकल्पर (जीयूएस) पत्रिका के मुद्रण और वितरण के लिए हैजिसमें प्रत्येरक संस्करण के लिए 1.60 करोड़ रूपए से अधिक और राष्ट्री य पंचायती राज दिवस के आयोजन के लिए चयनित राज्यों् को विभिन्ना पंचायत पुरस्काणर देने के संबंध में समारोह एवं ऐसे ही अन्य समारोह हेतु जारी सहायता अनुदान एवं पुरस्का रों

से संबंधित अन्ये व्यऐय शामिल हैं। वर्ष 2020-21 में राज्यर/ राज्यों ं के सहयोग से पुरस्का र वितरण का भौतिक संचालन नहीं हुआ, जो कि प्रचलित महामारी और पत्रिकाओं/ पुस्त कों आदि के प्रेषण के कारण भौतिक रूप से संपूर्ण लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया। ई-बुक के रूप में प्रकाशित ग्रामोदय संकल्प का छठा अंक प्रकाशन और प्रेषण के कारण लागत में कमी आई। तदंतर दो संस्करणों के पूरा होने में कोविड के कारण विलंब हुआ। "ग्रामोदय संकल्प" ई-बुक के रूप में तिमाही पत्रिका के छठे संस्करण के माध्यम से पहुंचने और पंचायती राज दिवस उत्सव तथा पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अन्य उपायों के माध्यम से देशभर में पंचायतों तक पहुंचने की मंत्रालय की पहल सराहनीय है। तथापि समिति यह समझ नहीं पा रही कि कोविड महामारी में बाद के दो संस्करणों के जारी होने में ई-बुक की इसी पद्धति को क्यों नहीं अपनाया गया। इसीलिए, समिति यह चाहती है कि मंत्रालय तिमाही पत्रिका "ग्रामोदय संकल्प" को भौतिक प्रपत्र एवं ई-बुक प्रपत्र में जारी रखकर और पंचायती राज दिवस उत्सव/ पुरस्कार समारोह को विभिन्न सोशल मीडिया के मंचों अर्थात् फेसबुक और ट्विटर पर सूचना के प्रसार के अतिरिक्त वर्तमान परिवेश में पुनः आरम्भ करके अपने कार्यकलापों को बढ़ाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने त्रैमासिक पत्रिका "ग्रामोदय संकल्प" के बाद के सभी अंकों को भौतिक प्रारूप के साथ-साथ डिजिटल प्रारूप में भी जारी रखा है। पत्रिका का डिजिटल/पीडीएफ संस्करण नियमित रूप से मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। तथापि, चूंकि प्रसार/पाठकों के लिए लक्षित समूह दूरस्थ और दूर-दराज के क्षेत्रों सहित सभी गांव हैंइसलिए व्यापक पहुंच और प्रचार के लिए भौतिक प्रति उनकी अपनी भाषा में भेजना अधिक प्रभावशाली है।

मंत्रालय जमीनी स्तर पर पंचायती राज मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लगातार उपयोग कर रहा है।पंचायती राज दिवस समारोह/पुरस्कार समारोहों को फिर से शुरू करने के संबंध में, महामारी की दूसरी लहर में मामलों की बढ़ती संख्या ने मंत्रालय को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2021 (एनपीआरडी 2021) को वस्तुतः आयोजित करने के लिए मजबूर किया है एनपीआरडी 2021 इवेंट में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था। सक्रिय ऑनलाइन

प्रचार के कारण 5,70,21,034 लोगों ने आयोजन के लिए पंजीकरण कराया और डिजिटल रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया।

(का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-योजना समन्वय, दिनांक: 15 जून, 2021**)**

अध्याय तीन

सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

-शून्य-

(का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-पीएआरएलदिनांक: 15जून, 2021)

अध्याय चार

सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं

सिफारिश (क्रम सं.6)

<u>कुछ राज्यों में ग्राम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण</u>

समिति कंप्यूटर वाले राज्यवार ग्राम पंचयातों के बारे में पंचायती राज मंत्रालय के आंकड़ों को देखते हुए यह नोट कर के प्रसन्न है कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में कंप्यूटर वाली ग्राम पंचायतें हैं जबकि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, मध्यप्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, तेलंगाना और उत्तराखण्ड राज्यों में कम संख्या में कंप्यूटर वाली ग्राम पंचायतें हैं। समिति यह भी नोट करती है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा रखी गई 894.03 करोड़रु की बजटीय मांग की तुलना में केवल 593 करोड़ रु ही वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।समिति आगे यह सूचित करती है कि इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के समक्ष अनुपूरक अनुदान के रूप में रखा जाएगा। ग्राम पंचायतों की बहुत बड़ी संख्या, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, के आलोक में समिति सख्ती से सिफारिश करती है कि संबंधित राज्यों / संघशासित प्रदेशोंमें ग्राम पंचायतों के शीघ्र कंप्यूटरीकरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय को पर्याप्त वित्त सहित विवेक पूर्ण प्रयास के साथ वित्त दिया जाए।

सरकार का उत्तर

पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण, जो कि भारत के संविधान की राज्य सूची की 7वीं अनुसूची का भाग है, राज्य का विषय है और इसके लिए राज्य ही उत्तरदायी है। तथापि पंचायती राज मंत्रालय अपने स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से कंप्यूटरों के प्रावधानों सहित राज्य के प्रयासों को पूरा करता है। वर्ष 2018-19 से कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के पुनर्गठित स्कीम के तहत यह मंत्रालय इस संबंध में सीमित पैमाने पर ग्राम पंचायतों के लिए राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए कंप्यूटर और सहायक उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करता रहा है। इस

स्कीम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राम पंचायतों के लिए कंप्यूटर अनुमोदित किए गए हैं। साथ ही, चालू वर्ष के दौरान अब तक 13 राज्यों में 7696 ग्राम पंचायतों के लिए कंप्यूटर अनुमोदित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित स्थानीय ग्रामीण निकायों में कंप्यूटर के लिए ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा 15 वित्त आयोग के तहत संयुक्त/ मूल (अबद्ध/बद्ध) अनुदान का उपयोग कर सकते हैं। यदि आवश्यकता हुई तो पूरक अनुदान के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त निधि की मांग करने के लिए भी वित्त मंत्रालय से इस मामले को उठाया जाएगा। (का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-योजना समन्वय, दिनांक: 15 जून, 2021**)**

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक की पैराग्राफ सं. 8 देखें)

सिफारिश (क्रमसं.16)

<u>ग्रामीण मकान मालिक को संपत्ति कार्ड देने के लिए स्वामित्वत योजना का कार्यान्वयन</u>

समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान गांवों के सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वा2मित्वन) के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया हैजिसका उद्देश्य गाँव के परिवारों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना है जिससे मौद्रिकरण की सुविधा होगी। ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों की।समिति योजना के पहले चरण के प्रदर्शन को नोट करती है, जहां 763 गांवों में 1 लाख संपत्ति मालिकों को हक विलेख/संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ को स्थापित बैंकों से ऋण प्राप्त हुआ है। अब तक लगभग 24000 गांवों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है और 567 कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम (सीओआरएस) नेटवर्क स्थापित किया गया है ताकि संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क प्रदान किया जा सके जो भूमि के सीमांकन में लंबी दूरी, उच्च सटीकता तक पहुंच की अनुमति देता है। समिति आगे नोट करती है कि देश में लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के दौरान 2,02,964 गांवों को कवर करने की एक अस्थायी योजना तैयार की है; वर्ष 2022-23 में 2,72,930 गाँव और वर्ष 2023-24 में 64,813

गाँव ड्रोन सर्वेक्षण कार्यों द्वारा प्राप्त किए जा रहे कर्षण के आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में लक्ष्य को स्थानांतरित करने के लचीलेपन के साथ। उपरोक्त टिप्पणियों का विश्लेषण करने वाली समिति, सिफारिश करती है कि मंत्रालय को राज्यों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के बीच उचित समन्वय की आवश्यकता पर अधिक जोर देना चाहिए और पहले चरण के दौरान प्राप्त अनुभवों को शामिल करना चाहिए। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक अस्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुचारू कार्यान्वयन और बेहतर प्रदर्शन के लिए योजना का कार्यान्वयन।

सरकारका उत्तर

मंत्रालय ने सिफारिश को नोट कर लिया है और वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक संभावित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुचारू कार्यान्वयन और बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा क्योंकि योजना को 2024-25 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है।

(का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-योजना समन्वय, दिनांक: 15 जून, 2021**)**

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक की पैराग्राफ सं.11 देखें)

अध्यायपांच

सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

(का.ज्ञा. सं.एच-11013 (25)/1/2021-पीएआरएलदिनांक: 15जून, 2021)

नईदिल्ली;
03अगस्त, 2021
12श्रावण, 1943 (शक)

प्रतापराव जाधव
सभापति,
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट-एक

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

समिति की मंगलवार, 03 अगस्त, 2021 को हुई बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक समिति कमरा सं. '**ब**' संसदीय सौध भवन, (पीएचए), नई दिल्ली में 1500 बजे से 1555 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री प्रतापराव जाधव – **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सी.एन. अन्नादूरई
3. श्री राजवीर दिलेर
4. श्री विजय कुमार दुबे
5. श्री सुखबीर सिंग जौनपुरिया
6. डॉमोहम्मद जावे .द
7. प्रोफरीता बहुगुणा जोशी .
.8श्री नरेंद्र कुमार
.9श्री जनार्दन मिश्र
.10श्री बीराघवेंद्र .वाई .
.11श्री तालारी रंगैय्या
.12श्रीमती गीताबेन वीराठवा .
.13श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
.14श्री विवेक नारायण शेजवलकर
.15डाआलोक कुमार सुमन .
.16श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

17. श्री शमशेर सिंह डुल्लों
18. श्री ईरण्ण कड़ाड़ी
19. श्री सुजीत कुमार
20. श्री नारणभाई जे राठवा

सचिवालय

1. श्री **ड़ी आर शेखर** - संयुक्त सचिव
2. श्री **ए के शाह** - निदेशक
3. श्रीमती एम्मा सी. बरवा - उप सचिव
.4 **श्री निशांत मेहरा** - अवर सचिव

सर्वप्रथम, सभापति ने (एक)XXX XXX XXX (दो) XXX XXX XXX (तीन)पंचायती राज मंत्रालय और (चार)XXX XXX XXX की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी.....प्रारूप की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचारार्थ और इन्हें स्वीकार करने हेतु आयोजित की गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

2. समिति ने प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और इन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया तथा सभापति को इन प्रतिवेदनों को सभा में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

XXX प्रारूप प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

परिशिष्ट-दो

(देखिए प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा सं 4)

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन(17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

एक.	सिफारिशों की कुल संख्या	16
दो.	सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है क्रमसं.-1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14 और 15	
	कुल -	14
	प्रतिशत-	87.5%
तीन.	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	
	क्रमसं. - शून्य	
	कुल-	00
	प्रतिशत-	00%
चार.	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं	
	क्रमसं0 6 और 16	
	कुल-	02
	प्रतिशत-	12.5%
पांच.	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	
	क्रमसं. शून्य	
	कुल-	00
	प्रतिशत-	00%